# बिहार सरकार

## अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

केन्द्र प्रायोजित योजना (100%)

सं0सं0– 4 / निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09 / 2026– 184

प्रेषक,

संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–27/10/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के कार्यान्वयन के लिए आदर्श ग्राम घटक अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु ₹23,06,40,000/– मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–16015/37/2018-CC दिनांक 31.08.2026 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना– प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PFMS Code- 3967) के कार्यान्वयन के लिए आदर्श ग्राम घटक (SLS Code- BR362) अन्तर्गत राज्य के चयनित 3021 ग्रामों के योजना कार्यान्वयन हेतु प्रति ग्राम ₹80,000/– की दर से प्रशासनिक व्यय के तहत ₹24,16,80,000/– (चौबीस करोड़ सोलह लाख अस्सी हजार रू0) मात्र का Mother Sanction प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक व्यय की राशि राज्य, जिला और गांव के स्तर पर 1:1:2 के अनुपात में वितरित की जाएगी। वर्तमान में मंत्रालय द्वारा चयनित 3021 ग्रामों मे से 138 ग्राम चयन के शर्त (अनुसूचित जाति की निर्धारित आबादी की सीमा/नगर निगम अथवा नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होना) को पुरा नही कर रहे है जिसके कारण 138 ग्राम को चयनित ग्राम की सूची से विलोपित करते हुए 2883 ग्राम का अंतिम रूप से चयन किया गया है। उक्त के आलोक में 2883 ग्रामों में आदर्श ग्राम घटक योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय के तहत ₹23,06,40,000/– (तेईस करोड़ छः लाख चालीस हजार रू0) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति संलग्न सूची के अनुसार प्रदान की जाती है।

2– उक्त राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPAC)– उपशीर्ष–0202–प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना–आदर्श ग्राम घटक– विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड सं0–**44–2225–01–789–0202**" पी0एफ0एम0एस0 कोड– 3967 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3– इस योजना के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यान्यन एजेंसी से प्राप्त दावा विपत्र का CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4– इस योजना के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी, निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगें। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत दावा विपत्र (claim) निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी को उपस्थापित किया जायेगा।

5– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस स्वीकृत राशि से SNA-SPARSH के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

6– वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 5295 दिनांक 09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13.07.2023 तथा समय–समय पर निर्गत SNA-SPARSH के दिशा–निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

7– स्वीकृत राशि का व्यय प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत आदर्श ग्राम योजना के अनुश्रवण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन, प्रचार आदि हेतु राज्य, जिला और गाँव के स्तर पर 1:1:2 के अनुपात में व्यय की जाएगी।

8– वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

9– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। महालेखाकार, बिहार को इस स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10– स्वीकृत योजना पर हीं राशि व्यय की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जाएगा। साथ हीं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना का डुप्लीकेशन न हो।

11– इस राशि की स्वीकृति पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026 के पृ0– 20/टि0 पर प्राप्त है।

12– इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026–184 पटना, दिनांक–27/10/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026–184 पटना, दिनांक–27/10/2026

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026–184 पटना, दिनांक–27/10/2026

प्रतिलिपि : सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–PM-AJAY (Budget Head)–103–09/2026–184 पटना, दिनांक–27/10/2026

प्रतिलिपि : अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– 16015/37/2018-CC दिनांक 31.08.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृत राशि की विवरणी

| क्रम संख्या | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | मंत्रालय द्वारा चयनित ग्रामों की संख्या | विलोपित ग्रामों की संख्या | अंतिम रूप से चयनित ग्रामों की संख्या | राज्य हेतु कर्णांकित राशि | जिला हेतु कर्णांकित राशि | ग्राम हेतु कर्णांकित राशि | कुल योग (6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | जि0 क0 पदा0, अररिया | 42 | 2 | 40 | 0 | 8,00,000 | 16,00,000 | 24,00,000 |
| 2 | जि0 क0 पदा0, अरवल | 20 | 0 | 20 | 0 | 4,00,000 | 8,00,000 | 12,00,000 |
| 3 | जि0 क0 पदा0, औरंगाबाद | 238 | 22 | 216 | 0 | 43,20,000 | 86,40,000 | 1,29,60,000 |
| 4 | जि0 क0 पदा0, बांका | 58 | 5 | 53 | 0 | 10,60,000 | 21,20,000 | 31,80,000 |
| 5 | जि0 क0 पदा0, बेगूसराय | 37 | 4 | 33 | 0 | 6,60,000 | 13,20,000 | 19,80,000 |
| 6 | जि0 क0 पदा0, भागलपुर | 38 | 0 | 38 | 0 | 7,60,000 | 15,20,000 | 22,80,000 |
| 7 | जि0 क0 पदा0, भोजपुर | 48 | 0 | 48 | 0 | 9,60,000 | 19,20,000 | 28,80,000 |
| 8 | जि0 क0 पदा0, बक्सर | 50 | 4 | 46 | 0 | 9,20,000 | 18,40,000 | 27,60,000 |
| 9 | जि0 क0 पदा0, दरभंगा | 67 | 1 | 66 | 0 | 13,20,000 | 26,40,000 | 39,60,000 |
| 10 | जि0 क0 पदा0, गया | 735 | 17 | 718 | 0 | 1,43,60,000 | 2,87,20,000 | 4,30,80,000 |
| 11 | जि0 क0 पदा0, गोपालगंज | 38 | 1 | 37 | 0 | 7,40,000 | 14,80,000 | 22,20,000 |
| 12 | जि0 क0 पदा0, जमुई | 68 | 4 | 64 | 0 | 12,80,000 | 25,60,000 | 38,40,000 |
| 13 | जि0 क0 पदा0, जहानाबाद | 34 | 0 | 34 | 0 | 6,80,000 | 13,60,000 | 20,40,000 |
| 14 | जि0 क0 पदा0, कैमूर | 132 | 2 | 130 | 0 | 26,00,000 | 52,00,000 | 78,00,000 |
| 15 | जि0 क0 पदा0, कटिहार | 25 | 3 | 22 | 0 | 4,40,000 | 8,80,000 | 13,20,000 |
| 16 | जि0 क0 पदा0, खगड़िया | 21 | 1 | 20 | 0 | 4,00,000 | 8,00,000 | 12,00,000 |
| 17 | जि0 क0 पदा0, किशनगंज | 10 | 0 | 10 | 0 | 2,00,000 | 4,00,000 | 6,00,000 |
| 18 | जि0 क0 पदा0, लखीसराय | 21 | 1 | 20 | 0 | 4,00,000 | 8,00,000 | 12,00,000 |
| 19 | जि0 क0 पदा0, मधेपुरा | 13 | 2 | 11 | 0 | 2,20,000 | 4,40,000 | 6,60,000 |
| 20 | जि0 क0 पदा0, मधुबनी | 39 | 0 | 39 | 0 | 7,80,000 | 15,60,000 | 23,40,000 |
| 21 | जि0 क0 पदा0, मुंगेर | 37 | 2 | 35 | 0 | 7,00,000 | 14,00,000 | 21,00,000 |
| 22 | जि0 क0 पदा0, मुजफ्फरपुर | 100 | 6 | 94 | 0 | 18,80,000 | 37,60,000 | 56,40,000 |
| 23 | जि0 क0 पदा0, नालंदा | 102 | 9 | 93 | 0 | 18,60,000 | 37,20,000 | 55,80,000 |
| 24 | जि0 क0 पदा0, नवादा | 176 | 6 | 170 | 0 | 34,00,000 | 68,00,000 | 1,02,00,000 |
| 25 | जि0 क0 पदा0, पश्चिम चम्पारण | 81 | 1 | 80 | 0 | 16,00,000 | 32,00,000 | 48,00,000 |
| 26 | जि0 क0 पदा0, पटना | 154 | 9 | 145 | 0 | 29,00,000 | 58,00,000 | 87,00,000 |
| 27 | जि0 क0 पदा0, पूर्वी चम्पारण | 47 | 7 | 40 | 0 | 8,00,000 | 16,00,000 | 24,00,000 |
| 28 | जि0 क0 पदा0, पूर्णियाँ | 34 | 1 | 33 | 0 | 6,60,000 | 13,20,000 | 19,80,000 |
| 29 | जि0 क0 पदा0, रोहतास | 161 | 8 | 153 | 0 | 30,60,000 | 61,20,000 | 91,80,000 |
| 30 | जि0 क0 पदा0, सहरसा | 30 | 0 | 30 | 0 | 6,00,000 | 12,00,000 | 18,00,000 |
| 31 | जि0 क0 पदा0, समस्तीपुर | 78 | 10 | 68 | 0 | 13,60,000 | 27,20,000 | 40,80,000 |
| 32 | जि0 क0 पदा0, सारण | 41 | 1 | 40 | 0 | 8,00,000 | 16,00,000 | 24,00,000 |
| 33 | जि0 क0 पदा0, शिवहर | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,00,000 | 2,00,000 | 3,00,000 |
| 34 | जि0 क0 पदा0, शेखपुरा | 26 | 5 | 21 | 0 | 4,20,000 | 8,40,000 | 12,60,000 |
| 35 | जि0 क0 पदा0, सीतामढ़ी | 19 | 0 | 19 | 0 | 3,80,000 | 7,60,000 | 11,40,000 |
| 36 | जि0 क0 पदा0, सीवान | 34 | 2 | 32 | 0 | 6,40,000 | 12,80,000 | 19,20,000 |
| 37 | जि0 क0 पदा0, सुपौल | 29 | 0 | 29 | 0 | 5,80,000 | 11,60,000 | 17,40,000 |
| 38 | जि0 क0 पदा0, वैशाली | 133 | 2 | 131 | 0 | 26,20,000 | 52,40,000 | 78,60,000 |
| 39 | अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग | 0 | 0 | 0 | 5,76,60,000 | 0 | 0 | 5,76,60,000 |
| **कुल राशि** | | **3021** | **138** | **2883** | **5,76,60,000** | **5,76,60,000** | **11,53,20,000** | **23,06,40,000** |

स्वीकृत्यादेश संख्या– 184 दिनांक 27/10/2026 कुल स्वीकृत राशि– रू0 23,06,40,000/–

27.10.26

सरकार के सचिव